

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 8 /2025/496/ तीस-4-2025/30-4099(099)/256/2024
लखनऊ: दिनांक: 07 मई, 2025

कार्यालय-ज्ञाप


अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में निजी निवेश से स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना के प्रयोजनार्थ एतत्संलग्न "उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025" को एतद्वारा प्रख्यापित किया जाता है।
संलग्नक-यथोक्त।

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव

संख्या- 8 /2025/496 (1)/ तीस-4-2025/30-4099(099)/256/2024, तद्दिनांक

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5) परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
- (8) निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (9) परिवहन अनुभाग-1, 2 व 3, उ०प्र० शासन।
- (10) गार्ड फाइल।

आशा से,

(के०पी० सिंह)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025'

प्रस्तावना/उद्देश्य

वर्तमान में प्रदेश में स्टेज कैरिज बसों हेतु बस स्टेशन मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा निर्मित है एवं उनके स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन बसों के प्रयोग हेतु उपलब्ध है। निजी स्टेज कैरिज बस एवं कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस हेतु अड्डों अथवा बस पार्क की संख्या लगभग नगण्य है। ऐसे में निजी बसें अधिकांशतः सड़कों पर अथवा खुले सार्वजनिक स्थानों में खड़ी की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस अड्डों पर बसों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध न होने के कारण परिवहन निगम की बसों को भी प्रायः सड़कों पर खड़ा देखा जा सकता है।

ज्ञातव्य है कि देश में सड़कों के विस्तार के साथ-साथ पर्यटकों के आवागमन में भी वृद्धि हुई है। प्रदेश में भी कई एक्सप्रेस-वे संचालित होने के उपरान्त पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों पर यात्रियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। केन्द्र सरकार की ऑल इण्डिया टूरिस्ट बसों के लिये निर्धारित वार्षिक शुल्क जमा करा कर सम्पूर्ण भारत में संचालन की व्यवस्था प्रभावी हो जाने के उपरान्त यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न राज्यों के प्रति देय कर को प्रत्येक राज्य हेतु पृथक रूप से जमा कराये जाने की आवश्यकता समाप्त हो गयी है, जिससे टूरिस्ट बस ऑपरेटर के द्वारा अपने व्यवसाय को संचालित करना सरल एवं सुविधाजनक हो गया है। इन नवीन प्रोत्साहनों के फलस्वरूप कुल पंजीकृत ऑल इण्डिया टूरिस्ट बसों की संख्या में भी वृद्धि हुयी है और इसी के साथ इनकी पार्किंग हेतु ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क एवं निजी बस अड्डों की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय / अन्तर्राज्यीय पर्यटकों को होटल तक पहुँचाने के उपरान्त बसें प्रायः होटल परिसर के बाहर ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि सभी होटलों में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है।

प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में बस स्टेशन का निर्माण / रीमॉडलिंग शासकीय बजट से अथवा पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर किया जा रहा है, तथापि प्रदेश की जनसंख्या एवं इसका भौगोलिक विस्तार, वाहनों की बढ़ती संख्या, ब्लाक, तहसील एवं जिला स्तर पर बस स्टेशन/बस पार्किंग स्थल की बढ़ती आवश्यकता के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि निजी निवेश के माध्यम से भी बस अड्डे स्थापित किये जाये। इस प्रयोजन को साकार किये जाने हेतु एक शासकीय नीति एवं व्यवस्था का होना आवश्यक है।

बस अड्डों के निर्धारण से सम्बंधित मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में विद्यमान प्रावधान

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-117 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके ऐसे स्थान अवधारित कर सकेगा जहाँ मोटरयान या तो अनिश्चित या विनिर्दिष्ट समय तक ठहर सकेंगे तथा ऐसे स्थान अवधारित कर सकेगा जिनमें सार्वजनिक सेवा यान उतने समय से अधिक समय तक ठहर सकेंगे जितना यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए आवश्यक है। तत्क्रम में उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-195 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा स्टैण्ड और विराम स्थल को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।



निजी यात्री वाहनों हेतु बस अड्डों की स्थापना व विनियमन की व्यवस्था के निर्धारण के प्रयोजनार्थ परिवहन आयुक्त, उ०प्र० द्वारा अपने कार्यालयादेश संख्या-170(शा०)सा०प्र०/2024-162टीआर/2023, दिनांक 30.08.2024 द्वारा समिति का नवगठन किया है। समिति द्वारा प्रकरण पर दिनांक 30.09.2024 को बैठक आयोजित कर संगत अधिनयम/नियमावली के प्राविधानों के आलोक में निम्न विषयों पर मत स्थिर किया गया:-

(क) स्टेज कैरिज हेतु बस स्टैण्ड की स्थापना

- (i) विचार-विमर्श के उपरान्त समिति के द्वारा यह मत स्थिर किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्टेज कैरिज हेतु बस स्टैण्ड की स्थापना जिलाधिकारी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-195 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी यथा- नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि के द्वारा की जाये तथा इस प्रकार स्थापित बस स्टैण्ड की व्यवस्था के संचालन के लिये संचालन संबंधी शर्तों का विनियमन एवं उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बस अड्डा/बस पार्क नियामक प्राधिकारी (Bus Stand/Bus Park Regulatory Authority) के द्वारा किया जाये।
- (ii) निजी क्षेत्र में निजी निवेश से स्टेज कैरिज बस अड्डा की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रण एवं स्थापना संबंधी प्रक्रियात्मक कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बस स्टैण्ड/बस पार्क नियामक प्राधिकारी के द्वारा किया जाये।

(ख) कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना

समिति के द्वारा यह मत स्थिर किया गया कि प्रदेश के जनपदों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) के भुगतान के आधार पर की जाय।

निजी क्षेत्र में निजी निवेश से ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रण एवं स्थापना संबंधी प्रक्रियात्मक कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बस अड्डा/बस पार्क नियामक प्राधिकारी (Bus Stand/Bus Park Regulatory Authority) के द्वारा किया जायेगा।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:

- (i) यह नीति उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025 कही जायेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
- (iii) यह नीति शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. बस अड्डा/बस पार्क नियामक प्राधिकारी का गठन:

- 2.1 सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में निजी निवेश से स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रण एवं स्थापना संबंधी कार्य हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क नियामक प्राधिकारी (Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Regulatory Authority) का गठन निम्नवत किया जाना प्रस्तावित है-



1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त प्रणाली के जनपदों में पुलिस आयुक्त के द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3.	नगर आयुक्त, नगर निगम/सचिव विकास प्राधिकरण/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत सचिव	सदस्य सचिव
4.	संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी	सदस्य
5.	संबंधित सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
6.	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य
7.	सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम	सदस्य
8.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
9.	अध्यक्ष, नियामक प्राधिकारी/जिलाधिकारी के द्वारा नामित कोई विषय विशेषज्ञ	सदस्य

- 2.2 उक्त प्राधिकारी द्वारा बस अड्डों/बस पार्क की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव के संदर्भ में परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत नीति के साथ-साथ अन्य प्रचलित कानून/नियमों के तहत विनियमन का कार्य संपादित किया जायेगा।
- 2.3 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क के क्रियान्वयन के संदर्भ में, यदि नीति के किसी प्राविधान/प्राविधानों में कोई संशोधन किया जाना आवश्यक हो, तो उन प्राविधानों में तदनुसूचित संशोधन हेतु उक्त प्राधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, उ०प्र० के माध्यम से परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।
- 2.4 उक्त प्राधिकारी द्वारा नीति के लागू होने के उपरान्त उनके द्वारा कृत कार्यवाही की वार्षिक रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, उ०प्र० के माध्यम से परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन को प्रेषित की जायेगी।

निजी निवेश से स्थापित होने वाले स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क की स्थापना हेतु आवेदक की पात्रता, अर्हता एवं आवेदन प्रक्रिया

3. अर्हता के मानदण्ड:

- 3.1 विकासकर्ता/निवेशकर्ता द्वारा स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क की स्थापना हेतु न्यूनतम 02 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके स्वामित्व/लीज डीड सम्बन्धी प्रपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 3.2 विकासकर्ता/निवेशकर्ता द्वारा आवेदन से पूर्व सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.3 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क को ऐसे मार्ग पर स्थापित किया जायेगा, जिसकी चौड़ाई 07 मीटर से कम नहीं होगी, ताकि वाहनों का आवागमन सुगमतापूर्वक एवं निर्बाध रूप से हो सके।



- 3.4 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क नगर निगम/नगर पालिका की सीमा से अधिकतम 05 किमी० की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकेगा।
- 3.5 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क की स्थापना के लिये आवेदक की नेटवर्थ गत वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50 लाख होनी चाहिए तथा गत वित्तीय वर्ष का टर्नओवर 02 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।
- 3.6 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क के संचालक को समान प्रकार के व्यवसाय के संचालन एवं प्रबन्धन का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
- 3.7 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि या तो आवेदक के स्वामित्व में होगा अथवा आवेदक द्वारा भूमि रजिस्टर्ड लीज के आधार पर न्यूनतम 10 वर्ष के लिये ली जायेगी।
- 3.8 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क पर यात्रियों के पहुँचने के मार्ग पृथक रूप से बनाये जायेंगे जिससे यात्रियों को आवागमन में असुविधा न हो तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- 3.9 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क का विकास इस प्रकार किया जायेगा कि भूमि की कुल क्षेत्रफल का 70 प्रतिशत भाग खुला स्थान होगा जिसमें बसों के पार्किंग एवं आवागमन के मार्ग होंगे। अवशेष 30 प्रतिशत भाग में यात्री सुविधा एवं अन्य अवस्थापना संबंधी निम्न व्यवस्थायें 24X7 आधार पर उपलब्ध करायी जायेंगी।
- (i) यात्रियों के बैठने की सुविधा।
 - (ii) पुरूषों, महिलाओं एवं दिव्यांगजन हेतु पृथक-पृथक शौचालय एवं यूरिनल।
 - (iii) शुद्ध पेयजल की व्यवस्था।
 - (iv) भोजन/जलपान हेतु कैन्टीन की व्यवस्था।
 - (v) यात्रियों को जानकारी प्रदान करने हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था।
 - (vi) अग्निशमन नियंत्रण के उपाय।
 - (vii) सम्पूर्ण परिसर में सी०सी०टी०वी० कैमरों की व्यवस्था।
 - (viii) पर्याप्त क्षमता के जनरेटर की व्यवस्था।
 - (ix) पूछताछ एवं बुकिंग काउन्टर की व्यवस्था।
 - (x) पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था।
 - (xi) पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं साफ-सफाई की व्यवस्था।
 - (xii) अन्य जनोपयोगी सुविधायें, जैसा कि नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाय।

4. आवश्यक जनशक्ति:

स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिये प्रबन्धक की तैनाती की जायेगी तथा बसों को व्यवस्थित रूप से खड़ा कराने के लिये पार्किंग सुपरवाइजर के साथ पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किये जायेंगे। इसी के साथ ही 24X7 के आधार पर साफ-सफाई के लिये पर्याप्त कर्मचारी एवं आवश्यक सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की

जायेगी। नियामक प्राधिकारी के द्वारा ही संचालन हेतु आवश्यक जनशक्ति तथा उनकी अर्हता का भी निर्धारण किया जायेगा।

5. आवेदन प्रक्रिया :


- 5.1 आवेदक एक विधिक इकाई होगा तथा वह एकल (INDIVIDUAL) अथवा कन्सोर्सियम (CONSORTIUM) के रूप में आवेदन कर सकता है।
- 5.2 आवेदक को विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत होने के संदर्भ में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की नोटराइज्ड सत्यापित प्रति निम्न व्यवस्था के अनुरूप आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा:-

क्र०सं०	विधिक इकाई का स्वरूप	प्रस्तुत किये जाने वाले डाक्यूमेन्ट
1	2	3
(i)	कम्पनी	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के तहत निर्गत सर्टिफिकेट ऑफ इन्कार्पोरेशन
(ii)	Limited Liability Partnership (LLP) फर्म	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 /2013 के तहत निर्गत LLP सम्बन्धी सर्टिफिकेट ऑफ इन्कार्पोरेशन
(iii)	पार्टनरशिप फर्म	पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत निर्गत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टनरशिप
(iv)	सोसाइटी	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत निर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र
(v)	प्रोप्राइटर	Shop & Establishment Act, 1948 के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र अथवा उद्यम आधार प्रमाण-पत्र

- 5.3 आवेदक का जी०एस०टी० पंजीकरण उत्तर प्रदेश में होना अनिवार्य होगा तथा इसकी स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- 5.4 आवेदक के पास Permanent Account Number (PAN) पंजीकरण होना अनिवार्य होगा तथा PAN की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- 5.5 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क हेतु आवेदक की शुद्ध मालियत (Net Worth) रुपया 50.00 लाख होनी चाहिए। नेटवर्थ सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित होगा तथा UDIN से युक्त होगा। UDIN सर्टिफिकेट तथा ऑडिटेड बैलेंस सीट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होगी।
- 5.6 आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन शुल्क रु० 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) RTGS/ NEFT के माध्यम से नियामक प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से राज्य सरकार के खाते में जमा करना होगा तथा जमा का प्रमाण आवेदन के साथ नियामक प्राधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी के कार्यालय में संलग्न करना होगा। आवेदन Non-Refundable होगा।
- 5.7 आवेदक द्वारा इस नीति के अनुलग्नक-1 पर विहित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा आवेदन के साथ इस नीति में आवेदन अर्हता संबंधी वांछित ससस्त अभिलेखों को भी प्रस्तुत करना होगा।

- 5.8 आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सीलयुक्त हस्ताक्षर किया जाएगा। इस नीति के अनुलग्नक-2 पर विहित प्रारूप में अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में आवेदक द्वारा नोटराइज्ड Power of Attorney (PoA) निर्गत किया जाएगा। कन्सोर्सियम (CONSORTIUM) की स्थिति में सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक अनुलग्नक-2 में तथा लीड मेम्बर के पक्ष में अनुलग्नक-2A में Power of Attorney (PoA) प्रस्तुत करना होगा।
- 5.9 आवेदन की तिथि में आवेदक को केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/किसी सार्वजनिक उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होने तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं किये जाने संबंधी शपथपत्र ₹0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टैप पेपर पर आवेदन के साथ अनुलग्नक-3 में विहित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।
- 5.10 आवेदन के साथ आवेदक को ₹0 एक लाख मात्र की धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) नियामक प्राधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत/ अधिसूचित बैंक से 01 वर्ष की वैधता अवधि का एफडी0आर0 के रूप में प्रस्तुत करना होगा। यह धनराशि स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क का संचालन प्रारम्भ होने पर स्वामी को वापस कर दी जायेगी। इस धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज स्वामी को देय नहीं होगा। स्वामी द्वारा स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क की स्थापना संबंधी कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति में (आपदा स्थिति को छोड़कर), नियामक प्राधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी को उक्त धरोहर धनराशि से इस नीति में विहित दण्ड शुल्क वसूल किये जाने का अधिकार होगा। (आपदा का अर्थ:-युद्ध, गृहयुद्ध, दंगा, हड़ताल, दैवीय घटना, महामारी, भूकम्प, अग्निकाण्ड, तूफान एवं बाढ़ आदि जैसी असामान्य परिस्थितियों से है।)
- 5.11 यदि आवेदक कन्सोर्सियम (CONSORTIUM) हो, तो उस स्थिति में निम्न शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-
- (i) कन्सोर्सियम में अधिकतम तीन सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य का विधिक इकाई होना अनिवार्य होगा तथा सभी सदस्य को विधिक इकाई सम्बन्धी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रत्येक सदस्य को 30प्र0 में पंजीकृत वैध जीएसटी सर्टिफिकेट तथा पैन (Permanent Account Number) की प्रति भी प्रस्तुत करना होगा।
 - (ii) आवेदन के साथ कन्सोर्सियम के रूप में सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील युक्त मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य का बिजनेस प्रोफाइल विवरण, स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया ट्रिस्ट बस पार्क की स्थापना के संदर्भ में उनके पृथक-पृथक दायित्व एवं कन्सोर्सियम के सम्बन्ध में पृथक-पृथक इक्विटी शेयर का विवरण देना होगा।
 - (iii) आवेदन प्रस्तुत करने के बाद कन्सोर्सियम के संघटन में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त करने का अधिकार नियामक प्राधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी को होगा।
 - (iv) कन्सोर्सियम में एक लीड मेम्बर होगा, जिसके पास न्यूनतम 51 प्रतिशत शेयर होगा।
 - (v) लीड मेम्बर के द्वारा ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

- (vi) लीड मेम्बर तथा कन्सोर्सियम के सभी सदस्य का नेटवर्थ सम्बन्धी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा UDIN सत्यापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) कन्सोर्सियम के सभी सदस्यों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अपात्र/प्रतिबन्धित/ब्लैक लिस्ट न होने का नोटराइज्ड प्रमाण पत्र इस नीति के अनुलप्रक-3 में विहित प्रारूप पर देना अनिवार्य होगा।
- (viii) भूमि स्वामित्व के संदर्भ में यदि भूमि कन्सोर्सियम के सदस्यों के स्वामित्व में हो तो सभी सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि के क्षेत्रफल का योग निर्धारित "पात्रता क्षेत्रफल" हेतु स्वीकार्य होगा।
- (ix) आवेदित भूमि के गाटा संख्या के पृथक-पृथक होने पर सभी गाटा संख्या की भूमि का एक-साथ होना अनिवार्य है, अतः पृथक-पृथक गाटा संख्या वाली भूमि की संयुक्तता का प्रमाणपत्र तहसीलदार/उपजिलाधिकारी के स्तर से निर्गत कराकर संलग्न करना होगा।
- (x) कन्सोर्सियम के लीड मेम्बर या अन्य किसी सदस्य किसी एक जनपद में 02 (दो) से अधिक स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क तथा एक ही मार्ग पर 01 (एक) से अधिक स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क के लिए आवेदन हेतु सिंगल या कन्सोर्सियम के रूप में अर्ह नहीं होंगे।
- (xi) कन्सोर्सियम का लीड मेम्बर या अन्य कोई सदस्य को प्रदेश में अधिकतम 10 (दस) स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क ही आवंटित होंगे।
- (xii) Consent to Establish (CTE) जारी होने के 30 दिन के अन्दर कन्सोर्सियम को कम्पनी अधिनियम के तहत कम्पनी ऑफ रजिस्ट्रार के समक्ष ज्वाइंट वेन्चर अनुबन्ध पंजीकृत कराकर नियामक प्राधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में CTE निरस्त करने का अधिकार नियामक प्राधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी को होगा।
- (xiii) कन्सोर्सियम अनुबन्ध की अवधि स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की रजिस्ट्रीकरण की वैधता अवधि तक होगी।
- 5.12 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना हेतु भूमि के स्वामित्व का प्रमाण
- (i) आवेदन के समय आवेदक को बस अड्डे हेतु चिन्हित भूमि के स्वामित्व के संबंध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार से सत्यापित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) यदि आवेदक के पास निर्धारित भूमि का स्वामित्व उपलब्ध नहीं है तथा वह भूमि पट्टे या भाड़े पर लेने का इच्छुक है, तो उसे उक्त भूमि को न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए भाड़े/पट्टे पर लिये जाने सम्बन्धी रजिस्टर्ड डीड की निबन्धक कार्यालय द्वारा निर्गत सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि भाड़े/पट्टे पर भूमि लिये जाने संबंधी रजिस्टर्ड डीड आवेदन के समय आवेदक के पास न हो तो उसे रू0 100/- के ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भूमि स्वामी का नोटराइज्ड सहमति पत्र तथा सम्बन्धित भूमि के स्वामित्व के संबंध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार से सत्यापित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। ऐसी



स्थिति में भूमि भाड़े/पट्टे पर लिये जाने की रजिस्टर्ड डीड Consent to Establish (CTE) के निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में Consent to Establish (CTE) के निरस्तीकरण का अधिकार नियामक प्राधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी में निहित होगा।

6. चयन मानदण्ड

- 6.1 किसी आवेदक को प्रदेश में अधिकतम 10 (दस) स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क ही आवंटित किये जायेंगे। यह प्रतिबन्ध राज्य सरकार द्वारा स्थापित होने वाले स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क पर लागू नहीं होगा।
- 6.2 किसी एक आवेदक को एक जनपद में 02 (दो) से अधिक स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क तथा एक ही मार्ग पर 01 (एक) से अधिक स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध राज्य सरकार पर लागू नहीं होगा।
- 6.3 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की उपयोगिता तथा आर्थिक एवं संचालनीय व्यवहार्यता (Utility and economic & operational viability) के दृष्टिगत किसी जनपद अथवा जनपद के अंतर्गत किसी एक मार्ग पर स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की अधिकतम संख्या तथा दो स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क के बीच न्यूनतम दूरी के निर्धारण का अधिकार नियामक प्राधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी में निहित होगा।
- 6.4 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क को आवंटित किये जाते समय सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 6.5 केवल आवेदन प्रस्तुत करना ही स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क आवंटित किये जाने का आधार नहीं होगा, बल्कि अर्हताओं के परीक्षणोपरान्त अर्ह पाये जाने की स्थिति में सर्वाधिक क्षेत्रफल के स्वामी/अनुबन्धकर्ता को प्रारम्भिक Consent to Establish (CTE) जारी करने में वरीयता प्रदान किया जायेगा।

7. Consent to Establish एवं LoA निर्गमन संबंधी प्रावधान

- 7.1 आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सर्पोटिंग अभिलेखों के सम्यक परीक्षण के उपरान्त नियामक प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक-4 पर दिये गये प्रारूप पर Consent to Establish आवेदक के पक्ष में जारी किया जायेगा।
- 7.2 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क का विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संचालक द्वारा उसका संचालन प्रारम्भ करने हेतु आवेदन अनुलग्नक-5 पर दिये गये प्रारूप पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। इस आवेदन के साथ आवेदक द्वारा रू० पाँच लाख मात्र की Performance Bank Gaurantee (PBG) अनुलग्नक-6 पर दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 7.3 आवेदक के द्वारा Performance Bank Gaurantee (PBG) प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियामक प्राधिकारी के द्वारा स्वयं अथवा उनके अधिकृत अधिकारी द्वारा स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क के संचालन

हेतु Letter of Authority (LoA) अनुलग्नक-7 पर दिये गये प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा।

8. **वित्तीय प्रोत्साहन:** बस अड्डे के संचालक को वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पूर्व निर्गमित सारणी में उल्लिखित छूट/रियायतें अनुमन्य होंगी। ऐसी परियोजनाओं में छूट/रियायत हेतु संचालक द्वारा नियामक प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। नियामक प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की प्रासंगिकता एवं पूर्णता की पुष्टि करने के उपरांत जारी किये गये Consent to Establish (CTE) के आधार पर आवेदक द्वारा छूट/रियायत हेतु संबंधित विभाग/संस्था को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

क्र०	शीर्षक	प्रोत्साहन
1	स्टांप ड्यूटी में छूट	राज्य में बस अड्डों को स्थापित करने हेतु 100 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट भूमि के क्रय तथा प्रदेश सरकार के किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आवंटन पर प्रदान की जाएगी। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में छूट के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर छूट प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।
2	भू-उपयोग परिवर्तन चार्ज में रियायत	भू-उपयोग परिवर्तन चार्ज में 75 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण/संस्था में रियायत की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।
3	विकास शुल्क में छूट	विकास शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण/ संस्था में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।
नोट: उक्त वर्णित छूट/रियायतें, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत की गई Letter of Incentive (LoI) के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी तथा विवरण जिलाधिकारी को सूचित किया जाएगा।		

- 8.1 निजी निवेश से विकसित होने वाले स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट/रियायत प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी।

9. **संचालन अवधि:** निजी निवेश से स्थापित होने वाले स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क को संचालन के लिये अनुमति प्रथम बार 10 वर्ष के लिये दी जायेगी, तत्पश्चात संचालन संतोषजनक पाये जाने पर रू० 10,000/- नवीनीकरण शुल्क जमा कराकर 10 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा।



10. यूजर चार्ज: निजी निवेश से स्थापित होने वाले स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क में वसूले जाने वाले यूजर चार्ज का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नियामक प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

11. अभिलेखों का रख-रखाव : निजी निवेश से स्थापित होने वाले स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क के संचालन संबंधी अभिलेखों, जैसा कि नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये, का रख-रखाव बस अड्डा संचालक के द्वारा किया जायेगा तथा प्रत्येक 06 माह पर नियामक प्राधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

12. निरीक्षण: निजी निवेश से स्थापित होने वाले स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क का समय-समय पर जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

13. व्यावसायिक उपयोग: निजी निवेश से स्थापित होने वाले स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क के संचालक को अपने परिसर के व्यावसायिक उपयोग (Commercial Use) की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि बस अड्डे पर बसों के आवागमन एवं पार्किंग तथा यात्रियों की सुविधा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। व्यावसायिक उपयोग के संदर्भ में शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार नियामक प्राधिकारी में निहित होगा।

14. स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क का स्वामित्व हस्तान्तरण:-

14.1 इस नीति के तहत पंजीकृत स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क का स्वामित्व हस्तान्तरण पंजीकृत बस अड्डे के स्वामी द्वारा किसी ऐसे विधिक इकाई, जो इस नीति के अन्तर्गत आवेदक की निर्धारित अर्हता एवं पात्रता को पूर्ण करता हो, के पक्ष में किये जाने हेतु नियामक प्राधिकारी को इस नीति के अनुलग्नक-8 एवं 8A में संलग्न प्रारूप पर आवेदन रू० 10,000/- की फीस के साथ किया जा सकेगा, किन्तु यह प्रतिबन्ध होगा कि स्वामित्व हस्तान्तरण का आवेदन बस अड्डे के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के निर्गमन की तिथि से 01 वर्ष के पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

14.2 नियामक प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदन पर इस नीति में विहित प्राविधानों के तहत आवेदन की अर्हता से संतुष्ट होने की स्थिति में बस अड्डे के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पर स्वामित्व हस्तान्तरण संबंधी आदेश जारी किया जायेगा।

15. निलम्बन/निरस्तीकरण: यदि नियामक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र [Letter of Authority (LoA)] के धारक/संचालक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि-

- (i) संचालक ने परिवहन विभाग, उ०प्र० द्वारा प्रख्यापित उ०प्र० स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क नीति में विहित प्राविधानों का उल्लंघन किया है, या
- (ii) नियामक प्राधिकारी के द्वारा विहित शर्तों का उल्लंघन किया है, या
- (iii) नियामक प्राधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं का निराकरण नोटिस दिए जाने के 01 माह की समय सीमा के उपरान्त भी नहीं किया गया है, या

- (iv) संचालन संबंधी अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया है तथा छमाही रिपोर्ट नियामक प्राधिकारी को नहीं प्रेषित की गई है, या
- (v) किसी अनाचार में अंतर्वलित होने पर निम्नलिखित आदेश लिखित में नियामक प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा-
- (क) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्राधिकार पत्र [Letter of Authority (LoA)] निलंबित किया जा सकेगा, या
- (ख) प्राधिकार पत्र [Letter of Authority (LoA)] को रद्द करने और प्रतिभूति निक्षेप और स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क हेतु जमा की गई बैंक गारण्टी के संपहरण का आदेश किया जा सकेगा।
- (ग) यदि नियामक प्राधिकारी के द्वारा जारी प्राधिकार पत्र [Letter of Authority (LoA)] 06 माह से अधिक समय तक निलंबित रहता है, तो नियामक प्राधिकारी, प्राधिकार पत्र [Letter of Authority (LoA)] के धारक को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त प्राधिकार पत्र [Letter of Authority (LoA)] को निरस्त कर सकेगा।

16.अपीलीय प्रावधान:

निजी निवेश से स्थापित होने वाले स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क के विनियमन एवं संचालन के संदर्भ में नियामक प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित होने पर अपीलीय प्राधिकारी संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त होंगे जिनके समक्ष संचालक के द्वारा रू० पाँच हजार मात्र अपील शुल्क जमा करा कर आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपील की जा सकेगी।



APPLICATION FORM

for

Establishment of Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage
& All India Tourist Bus Park

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट (नियामक प्राधिकारी),

जनपद का नाम।

महोदय,

परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन की शासनादेश/अधिसूचना संख्या-.....दिनांक के द्वारा जारी स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति, 2025 संबंधी निर्धारित अर्हता एवं पात्रता को पूर्ण करते हैं, तथा स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के संचालन के लिए निर्धारित सभी नियमों/शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत हैं। स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के हस्तांतरण हेतु निम्नवत् आवेदन प्रस्तुत करता हूँ:-

क्र.सं.	विषय	विवरण
(1)	आवेदक/संस्था का नाम एवं पता (यदि आवेदक कन्सोर्शियम हो, तो लीड मेम्बर सहित सभी सदस्यों का नाम एवं पता)	
(2)	संस्था की विधिक स्थिति (यथा कम्पनी, फर्म, एसोसियेशन ट्रस्ट, कोआपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ आदि) (यदि आवेदक कन्सोर्शियम हो तो लीड मेम्बर सहित सभी सदस्यों की विधिक स्थिति)	
(3)	संस्था पंजीयन नम्बर एवं पंजीयन तिथि (कन्सोर्शियम की स्थिति में लीड मेम्बर सहित सभी सदस्यों का पंजीयन नम्बर/पंजीयन तिथि)	
(4)	संस्था का प्राधिकृत अधिकारी	
	(i) नाम	
	(ii) पदनाम	
	(iii) पता	

	(iv) मोबाईल नम्बर	
	(v) ई-मेल आईडी	
	(vi) विधि अनुसार संस्था द्वारा प्राधिकृत किए जाने का प्रमाण संलग्न करना होगा (अनुलग्नक-2) कन्सोर्शियम की स्थिति में अनुलग्नक-2 व 2A	
(5)	प्रस्तावित स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क की भौगोलिक अवस्थिति	
	(i) राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) अथवा राज्यमार्ग (SH) अथवा मुख्य/अन्य जिला मार्ग (MDR/ODR) पर निम्न सूचना के साथ:- (i) Complete Address (ii) Width of Approach Road (iii) Village/Block/Town/City (iv) Police Station (v) Sub-Division (vi) Latitude & Longitude (vii) Nature of Project Land (agricultural/commercial/ forest land/ government land/ gram sabha land / railway land etc.)	
	(ii) नगर निगम/नगर पालिका की सीमा के अंदर अथवा सीमा से बाहर (यदि सीमा से बाहर, तो सीमा से कितनी दूरी किलोमीटर में) (प्रमाण अथवा नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)	
	(iii) केन्द्र की भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) (प्रमाण संलग्न करना होगा)	
	(iv) भूमि के स्वामित्व की स्थिति (स्वयं की अथवा लीज होल्ड की) क्रय/पट्टा करार दस्तावेज संलग्न करना होगा।	
	क्या प्रस्तावित केन्द्र की भूमि सभी प्रकार के भार (encumbrances) से मुक्त है? यदि नहीं तो पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि हाँ तो भार मुक्त (encumbrances free) का नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	

	(vi) प्रस्तावित केन्द्र पर इन्टरनेट/ब्रॉडबैंड/टेलीफोन लाइन सम्बन्धी संचार सुविधा है अथवा नहीं? (यदि हाँ, तो प्रमाण अथवा नोटराइज्ड शपथ प्रस्तुत करना होगा)	
(6)	संस्था की वित्तीय स्थिति	
	(i) आवेदन की तिथि से निकटतम पूर्ववर्ती वर्ष में नेटवर्थ शुद्ध मालियत न्यूनतम रूपया पचास लाख होने की स्थिति (कन्सोर्सियम की स्थिति में, लीड मेम्बर का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा)	
	(ii) साक्ष्य रूप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा युडिन (UDIN) सत्यापित सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।	
(7)	स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR (Detail Project Report)	
	(i) Estimated Project Cost	
	(ii) Capital Expenditure excluding land cost	
	(iii) Operational & Maintenance cost of the project	
	(iv) Feasibility report of Project	
	(v) Concept Plan with Layout of the Project Land	
	(vi) Means and Source of Finance	
	(vii) Any other cost / clause / condition	
(8)	"लेटर ऑफ अथॉरिटी (LOA)" हेतु आवेदन शुल्क रू0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) RTGS/NEFT के माध्यम से जमा का विवरण	
	(i) राज्य सरकार के खाते अथवा बैंक खाते का विवरण, जैसा नियामक प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाये। (लेखा शीर्ष/उप शीर्ष अथवा बैंक का नाम एवं शाखा खाता, खातेदारक का नाम, बैंक खाते का नम्बर एवं IFSC कोड)	
	(ii) जमा का प्रमाण	
	(iii) जिस बैंक खाते से किया गया (बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाते का नम्बर एवं IFSC कोड)	

(9)	आवेदन की तिथि में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा ब्लैक लिस्ट अथवा प्रतिबंधित किया गया है अथवा नहीं? (नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा) अनुलग्नक-3	
-----	---	--

मैंने स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के संचालन एवं रख-रखाव हेतु निर्धारित की गयी शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं यह वचन देता हूँ कि स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के संचालन एवं रख-रखाव में उन सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि इस आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाएं एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेज विधिक रूप से सही है तथा मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

तारीख-.....

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर
हस्तान्तरी का नाम-
आवेदक/संस्था का नाम एवं पता-
मुहर-



प
द
व
र
ण
का

र
ते

POWER OF ATTORNEY (POA)

(Duly notarized on non-judicial stamp paper of value Rs.100/-)

Reference: Uttar Pradesh Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025 issued by Transport Department, Governemnt of Uttar Pradesh vide G.O./Notification number..... dated.....

Name of the Project: Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025

Know all men by these present, I/We (Name of the person(s) and designation), (name of the Company and address of the registered office) do hereby irrevocably constitute, nominate, appoint and authorize Mr./Ms..... (name), son/daughter/wife ofand presently residing at, who is presently employed with us and holding the position of, as our true and lawful attorney (hereinafter referred to as the "Attorney") to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things as are necessary or required in connection with or incidental to submission of our application in response to **Uttar Pradesh Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025 issued by Transport Department, Uttar Pradesh** including but not limited to signing and submission of application and other documents and writings, providing information/ responses to the District Magistrate, District..... UP representing us in all matters in connection with or relating to or arising out of our Application for the said Project and/ or upon award thereof to us and/or till the concession period of the project.

AND we hereby agree to ratify and confirm all acts, deeds and things done or caused to be done by our said Attorney pursuant to and in exercise of the powers conferred by this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our said Attorney in exercise of the powers hereby conferred shall and shall always be deemed to have been done by us.

Signature of attorney is attested below:

IN WITNESS WHEREOF WE,, THE ABOVE NAMED PRINCIPAL HAVE EXECUTED THIS POWER OF ATTORNEY ON THIS DAY OF, 20.....

(Signature)

Name:

Designation:

Address:

Witnesses:

1.

2.



Power of Attorney (PoA) in favour of Lead Member of Consortium

(Duly notarized on non-judicial stamp paper of value Rs.100/-)

Reference: Uttar Pradesh Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025 issued by Transport Department, Governemnt of Uttar Pradesh vide G.O./Notification number..... dated.....

Name of the Project: Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025

Know all men by these present, we

1 (name of the Firm and address of the registered office)

2 (name of the Firm and address of the registered office)

3 (name of the Firm and address of the registered office)

do hereby constitute a consortium for the purpose of submission of our application for Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025 at <Name of the District> in response to Uttar Pradesh G.O. No.: _____ dated _____ issued by the Transport Department, Government of Uttar Pradesh, and do hereby irrevocably constitute, nominate, appoint and authorize <Name of the Legal Entity acting as the Lead Member> <.....address.....> as our true and lawful attorney (hereinafter referred to as the "Attorney") to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things, as are necessary or required in connection with or incidental to submission of our Application including but not limited to signing and submission of Application and other documents and writings, participate in meetings and other conferences and providing information/responses to the Registering Authority, representing us in all matters before the Registering Authority, signing and execution of all the works including the provisions of the Policy and undertakings consequent to acceptance of our application, and generally dealing with the Registering Authority in all matters in connection with or relating to or arising out of our application for the said Project and/or upon award thereof to us and/or till the execution, completion and/or termination of the Project by the Registering Authority.

AND we hereby agree to ratify and confirm all acts, deeds and things done or caused to be done by our said Attorney pursuant to and in exercise of the powers conferred by this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our said Attorney in exercise of the powers hereby conferred, shall and shall always be deemed to have been done by us. The signature of Authorized Signatory of the Lead Member is attested below:

[Signature Box]

IN WITNESS WHEREOF WE HAVE EXECUTED THIS POWER OF ATTORNEY ON THIS DAY OF, 20.....

[Signature]

(Authorized Signatory's Signature) Name of the person: Designation: Name of the Firm: Address: Seal	(Authorized Signatory's Signature) Name of the person: Designation: Name of the Firm: Address: Seal	(Authorized Signatory's Signature) Name of the person: Designation: Name of the Firm: Address: Seal
--	--	--



DECLARATION REGARDING BLACKLISTING/NON-BLACKLISTING

(TO BE EXECUTED ON RS. 100/- STAMP PAPER & ATTESTED BY PUBLIC NOTARY/EXECUTIVE
MAGISTRATE BY THE APPLICANT)

Date:

To,

The District Magistrate/Chairman,

Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Regulatory
Authority,

District

Uttar Pradesh.

**Reference: Uttar Pradesh Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India
Tourist Bus Park Policy, 2025 issued by Transport Department, Governemnt of Uttar
Pradesh vide G.O./Notification number..... dated.....**

I/We hereby declare and undertake as follows that:

My/Our Company and its MD/CEO/Partners is/are not under ban or debarment or blacklisting
by GoUP or any other Ministry/ Department of the Govt. of India/ State Govt./ PSUs and not
convicted by any competent court on the date of submission of this application.

Yours sincerely,



Signature of the Authorized Person:

Name of Signatory:

Designation of Signatory:

Name of the Company:

Address of the Company:

Seal of the Company:

Date:

Office of District Magistrate
District: <Name of the District>
Consent to Establish
Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage
& All India Tourist Bus Park

Letter No: Dated:

To,

<Name of the Agency/Firm>

Address

In reference to your application number <.....> dated....., this is to inform you that the Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Regulating Authority has approved your application and has given permission to establish Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park at <full address of the location>.

- (2) You are hereby informed and directed to adhere to the provisions of the Uttar Pradesh Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025 issued by Transport Department, Government of Uttar Pradesh vide G.O./Notification number..... dated.....
- (3) You are also informed and directed to comply with all laws applicable to the regulations regarding Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025 with regard to its establishment.

Signature of Authorized
Officer
Name
Designation
Seal



**APPLICATION FOR COMMENCEMENT OF OPERATION OF
STAGE CARRIAGE BUS STAND, CONTRACT CARRIAGE & ALL INDIA TOURIST BUS PARK**

[To be executed on the Letter Head of the Applicant]

To,

The District Magistrate/Chairman,

Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Regulatory
Authority,

District

Uttar Pradesh.

Sir,

I/We, the undersigned, in reference to our Application number.....
dated....., for establishment and commencement of Stage Carriage Bus Stand, Contract
Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025 at <full address of the location>, it is to
be submitted that I/we have completed the construction and establishment as per the provision
of Uttar Pradesh Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park
Policy, 2025 issued by Transport Department, Government of Uttar Pradesh vide
G.O./Notification number..... dated.....

2) I/we hereby submitting the Performance Bank Guarantee No..... of
Rupees..... <.....in words.....> issued by <Bank name and address> dated.....

3) It is therefore requested to issues the Letter of Authority for the commencement of
operation of Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park at <full
address of the location>.

Yours sincerely,

Signature of the Authorized

Person:

Name and Title of Signatory:

Name of the Applicant:

Address:

Seal:

Date:



PROFORMA PERFORMANCE BANK GUARANTEE

Reference: Uttar Pradesh Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025 issued by Transport Department, Governemnt of Uttar Pradesh vide G.O./Notification number..... dated.....

Name of the Project: Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park

WHEREAS- The Transport Department, Government of Uttar Pradesh has issued Uttar Pradesh Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy, 2025 vide G.O./Notification no..... dated..... for the establishment and operation of Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park.

AND WHEREAS as per the provisions of the said Policy, the Applicant shall have to submit to the the District Magistrate District a Bank Guarantee from a Nationalized/Scheduled bank of India having a branch at <Bank location and address in concerned district> for an amount of Rs. Five Lakhs Only [hereinafter be referred to as the "Guaranteed Amount"]. This bank guarantee shall be valid for the complete operation period of the said project or ten years from the date of issuance of this bank guarantee, whichever is later.

AND WHEREAS the Applicant has approached [insert the name of the scheduled bank] (here in after referred to as the "Bank") having its registered office at [insert the address] and at the request of the Applicant and in consideration of the promises made by the Applicant, the Bank has agreed to give such guarantee as hereunder: -

- (i) The Bank hereby undertakes to pay under this guarantee, the Guaranteed Amount claimed by the District Magistrate District, without any further proof or conditions and without demur, reservation, contest, recourse or protest and without any enquiry or notification to the Applicant merely on a demand from the District Magistrate District, stating that the amount claimed is due under the Policy. Any such demand made on the Bank by the District Magistrate District, shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this bank guarantee and the Bank shall pay without any deductions or set-offs or counterclaims whatsoever, the total sum claimed by the District Magistrate District, in such Demand. The District Magistrate District, shall have the right to make an unlimited number of Demands under this bank guarantee provided that the aggregate of all sums paid to the District Magistrate District, by the Bank under this bank guarantee shall not exceed the Guaranteed Amount.
- (ii) However, the Bank's liability under this bank guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rupees "Guaranteed Amount".
- (iii) The District Magistrate District, will have the full liberty without reference to the Bank and without affecting the bank guarantee to postpone for any time or from time to time the exercise of any powers and rights conferred on the District Magistrate District, as per the said Policy and to enforce or to forbear endorsing any powers or rights or by reasons of time being given to the Applicant which under law relating the Surety would but for the provisions have the effect of releasing the surety.
- (iv) The rights of the District Magistrate District, to recover the Guaranteed Amount from the Bank in the manner aforesaid will not be affected or suspended by



reasons of the fact that any dispute or disputes have been raised by the Applicant and / or that any dispute(s) are pending before any office, tribunal or court in respect of such Guaranteed Amount.

- (v) The guarantee herein contained shall not be affected by the liquidation or winding up, dissolution, change of constitution or insolvency of the Applicant but shall in all respects and for all purposes be binding and operative until payment of all money due to the District Magistrate District, in respect of such liability or liabilities is affected.
- (vi) This bank guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of India and the parties to this bank guarantee hereby submit to the jurisdiction of the Courts of Uttar Pradesh at Lucknow for the purposes of settling any disputes or differences which may arise out of or in connection with this bank guarantee and for the purposes of enforcement under this bank guarantee.
- (vii) All capitalized words used but not defined herein shall have the meanings assigned to them under the said Policy.

NOTWITHSTANDING anything stated above, the liability of the Bank under this bank guarantee is restricted to the Guaranteed Amount and this bank guarantee shall expire on the completion of one year from the date of issuance of this bank guarantee. Unless a Demand under this bank guarantee is filed against the Bank within six months from the date of expiry of this bank guarantee, all the rights of the District Magistrate District, under this bank guarantee shall be forfeited and the Bank shall be relieved and discharged from all liabilities hereunder. However, if the Applicant's obligations against which this bank guarantee is given, are not completed or fully performed by the Applicant within the period prescribed under the Contract, the Bank hereby agrees to further extend the bank guarantee for further periods of six months each till the Applicant fulfils its obligations under the Policy.

I/We have the power to issue this bank guarantee in your favor under Memorandum and Articles of Association and the Undersigned has full power to do so under the Power of Attorney dated [date of power of attorney to be inserted] granted to him by the Bank.

Any payment made hereunder shall be free and clear of and without deduction for or on account of taxes, levies, imports, charges, duties, fees, deductions or withholding of any nature imposts.

Bank Guarantee Number: **Date of Issue:**

Signature of Authorized Signatory
Name
Designation
Date:

Corporate Seal of the Bank

Important Instruction: The PBG is to be signed by official(s) duly authorized to sign on behalf of the Bank.



Office of District Magistrate
District: <Name of the District>

Letter of Authority
for operation of

Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park

Letter No: Dated:

To,

<Name of the Agency/Firm>

Address

In reference to your Application number <.....> dated....., this is to inform you that the Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Regulating Authority has approved your application and has given permission to start the operation of Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park at <full address of the location>.

1) You are hereby informed and directed to adhere to the provisions of the Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy issued by Transport Department, Government of Uttar Pradesh vide G.O./Notification number..... dated.....

2) You are also informed and directed to comply with all laws applicable to the regulations regarding Stage Carriage Bus Stand, Contract Carriage & All India Tourist Bus Park Policy with regard to its establishment as well as operation.

Signature of Authorized
Officer
Name
Designation
Seal



स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया ट्रिस्ट बस पार्क
के हस्तांतरण के लिए प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट (नियामक प्राधिकारी),

<जनपद का नाम>।

महोदय,

भाग-1 (हस्तान्तरक के उपयोगार्थ)

स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया ट्रिस्ट बस पार्क का नाम.....

पूरा पता.....

लेटर ऑफ अथॉरिटी (LoA) संख्या-

LoA जारी करने की तिथि-

हस्तान्तरक का नाम.....

पूरा पता.....

1. मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम अपना स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया ट्रिस्ट बस पार्क <नाम व पूरा पता>, जिसका लेटर ऑफ अथॉरिटी संख्या है, श्री/श्रीमती/मैसर्स..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी..... को हस्तान्तरित करना चाहते हैं। लेटर ऑफ अथॉरिटी मूल रूप में संलग्न है।

2. मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया ट्रिस्ट बस पार्क का लेटर ऑफ अथॉरिटी जारी हुये एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है।

3. मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया ट्रिस्ट बस पार्क के लेटर ऑफ अथॉरिटी को निलम्बित/निरस्त नहीं किया गया है और न ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4. मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया ट्रिस्ट बस पार्क के विरुद्ध किसी भी विभाग की देयता लम्बित नहीं है और किसी भी न्यायालय में उपरोक्त स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया ट्रिस्ट बस पार्क से संबंधित कोई भी वाद लम्बित नहीं है।

तारीख.....

संलग्नक:- लेटर ऑफ अथॉरिटी (LoA)

की मूल प्रति

हस्तान्तरक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान



भाग-2 (हस्तान्तरी के उपयोगार्थ)

स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क का

नाम.....

पूरा पता.....

लेटर ऑफ अथॉरिटी (LoA) संख्या-

(LoA) जारी करने की तिथि-

हस्तान्तरक का नाम.....

पूरा पता.....

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क <नाम व पूरा पता>, जिसका लेटर ऑफ अथॉरिटी संख्या है, श्री/श्रीमती/मैसर्स.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी..... से क्रय कर लिया है और यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के लिए जारी लेटर ऑफ अथॉरिटी को मेरे/हमारे नाम में अभिलिखित करें, लेटर ऑफ अथॉरिटी मूल रूप में संलग्न है।
2. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन की शासनादेश/अधिसूचना संख्या-.....दिनांक के द्वारा जारी स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति, 2025 संबंधी निर्धारित अर्हता एवं पात्रता को पूर्ण करते हैं, तथा स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के संचालन के लिए निर्धारित सभी नियमों/शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत हैं।
3. मैंने/हम स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए नियामक प्राधिकारी के पक्ष में रू० 10,000/- का शुल्क विहित रीति से जमा करा दिया है।
4. मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से उपरोक्त दी गई जानकारी सही है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। किसी भी गलती/जानकारी छुपाने के लिए मैं/हम अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

तारीख.....

हस्तान्तरी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान



कार्यालय पृष्ठांकन

स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क का नाम.....

पूरा पता.....

लेटर ऑफ अथॉरिटी (LoA) संख्या-

(LoA) जारी करने की तिथि-

हस्तान्तरक का नाम.....

पूरा पता.....

श्री/श्रीमती/मैसर्स..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी.....

..... (हस्तांतरी का नाम व पूरा पता) को इस कार्यालय के द्वारा
जनपद..... में (नाम व पूरा पता) में संचालित स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट
कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क, जिसका लेटर ऑफ अथॉरिटी संख्या..... है तथा
जिसे जारी हुये 01 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, को हस्तान्तरक के आवेदन उपरान्त
श्री/श्रीमती/मैसर्स..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी.....

..... (हस्तांतरी का नाम व पूरा पता) द्वारा निर्धारित अर्हता एवं पात्रता को पूर्ण किये
जाने तथा हस्तांतरी द्वारा स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के
संचालन के संबंध में समस्त नियमों/शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत होने संबंधी वचनबंध
होने के स्थिति में एतद्वारा लेटर ऑफ अथॉरिटी संख्या..... श्री/श्रीमती/
मैसर्स..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी.....

..... (हस्तांतरी का नाम व पूरा पता) के पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है।

तारीख.....

हस्ताक्षर एवं मुहर
जिला मजिस्ट्रेट/नियामक प्राधिकारी,
<जनपद का नाम>

स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क
के हस्तांतरण हेतु आवेदन

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट (नियामक प्राधिकारी),

<जनपद का नाम>।

महोदय,

परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन की शासनादेश/अधिसूचना संख्या-.....दिनांक के द्वारा जारी स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति, 2025 संबंधी निर्धारित अर्हता एवं पात्रता को पूर्ण करते हैं, तथा स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के संचालन के लिए निर्धारित सभी नियमों/शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत हैं। हस्तान्तरक द्वारा किये गए आवेदन दिनांक..... के अनुक्रम में स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के हस्तांतरण हेतु निम्नवत आवेदन प्रस्तुत करता हूँ:-

क्र.सं.	विषय	विवरण
(1)	आवेदक/संस्था का नाम एवं पता (यदि आवेदक कन्सोर्शियम हो, तो लीड मेम्बर सहित सभी सदस्यों का नाम एवं पता)	
(2)	संस्था की विधिक स्थिति (यथा कम्पनी, फर्म, एसोसियेशन ट्रस्ट, कोआपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ आदि) (यदि आवेदक कन्सोर्शियम हो तो लीड मेम्बर सहित सभी सदस्यों की विधिक स्थिति)	
(3)	संस्था पंजीयन नम्बर एवं पंजीयन तिथि (कन्सोर्शियम की स्थिति में लीड मेम्बर सहित सभी सदस्यों का पंजीयन नम्बर/पंजीयन तिथि)	
(4)	संस्था का प्राधिकृत अधिकारी नाम पदनाम पता मोबाईल नम्बर ई-मेल आईडी विधि अनुसार संस्था द्वारा प्राधिकृत किए जाने का प्रमाण संलग्न करना होगा अनुलग्नक-2	
(5)	स्थापित स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क की भौगोलिक अवस्थिति (i) परिसर का पूरा पता	

	(ii)परिसर के भीतर तथा बाहर से चारो कोण से लिए गए हाई रेसोल्युशन रंगीन फोटोग्राफस (न्यूनतम 8 फोटोग्राफस)	
क्र.सं.	विषय	विवरण
(6)	"लेटर ऑफ अथॉरिटी (LoA)" हेतु आवेदन शुल्क रू0 10,000/- (दस हजार मात्र) RTGS/NEFT के माध्यम से जमा का विवरण	
	(i) राज्य सरकार के खाते अथवा बैंक खाते का विवरण, जैसा नियामक प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाये। (लेखा शीर्ष/उप शीर्ष अथवा बैंक का नाम एवं शाखा खाता, खातेदारक का नाम, बैंक खाते का नम्बर एवं IFSC कोड)	
	(ii) जमा का प्रमाण	UTR नम्बर - तिथि -
	(iii) जिस बैंक खाते से किया गया (बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाते का नम्बर एवं IFSC कोड)	
(7)	संस्था की वित्तीय स्थिति	
	(i) आवेदन की तिथि से निकटतम पूर्ववर्ती वर्ष में नेटवर्थ शुद्ध मालियत न्यूनतम रूपया पचास लाख होने की स्थिति (कन्सोर्सियम की स्थिति में, लीड मेम्बर का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा)	
	(ii) साक्ष्य रूप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा युडिन (UDIN) सत्यापित सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।	
(8)	आवेदन की तिथि में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा ब्लैक लिस्ट अथवा प्रतिबंधित किया गया है अथवा नहीं? (नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा) अनुलप्रक-3	

मैंने स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के संचालन एवं रख-रखाव हेतु निर्धारित की गयी शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं यह वचन देता हूँ कि स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्टैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क के संचालन एवं रख-रखाव में उन सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि इस आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाएं एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेज विधिक रूप से सही है तथा मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।
तारीख-.....

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर
हस्तान्तरी का नाम-
आवेदक/संस्था का नाम एवं पता-
मुहर-

